संख्याः01/2023/803/ 74-2-2022-08(विविधि)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 05 जनवरी, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग के पत्र संख्या-1655/63-व उ0-2022-17(एच)/2022 दिनांक 16.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 में विभाग से संबंधित रेशम उद्योग के प्रोत्साहन हेतु अनुदान के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें-

अ- रेशम उत्पादन क्षेत्र में चाकी कीटपालन, कोया उत्पादन, रीलिंग और कताई से सम्बन्धित, अधिकतम एक करोड़ रूपये का पूंजी निवेश करने वाली इकाइयां बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर मार्जिन मनी के रूप में 15 प्रतिशत पंूजीगत उपादान हेतु पात्र होगी। बैंकों द्वारा किये गये परियोजना लागत के मूल्यांकन के आधार पर मार्जिन मनी की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के मामले में यह अनुदान 20 प्रतिशत होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ब- एक करोड़ रूपये या उससे अधिक के पूंजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाइयों को 20 प्रतिशत पूंजीगत उपादान दिया जायेगा। यह वित्तीय सुविधा केन्द्रीय रेशम बोर्ड जैसे भारत सरकार के संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।

स- उपर्युक्त में उल्लिखित बिन्दु ं तथा इ के अन्तर्गत सब्सिडी, भारत सरकार या सी0एस0बी0 की योजनाओं में राज्य सरकार के अंश के अतिरिक्त होगी।

द- कार्यशील पूंजी सब्सिडी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उत्पादित कोया से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागे का उत्पादन करने वाली रेशम रीलिंग इकाइयां कार्यशील पूंजी हेतु लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षो तक ब्याज उपादान (कार्यशील पूंजी सब्सिडी) हेतु पात्र होंगी। कार्यशील पूंजी सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000 रूपये प्रति वर्ष इकाई होगी।

भवदीय,

कृष्ण कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-01/2023/803(1)/74-2-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- विशेष सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परमात्मा यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।